न्यायालय, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम, बाढ़
उपस्थिति :– राजकुमार चौधरी
अग्रिम जमानत आवेदन संख्या – 16/2026
पण्डारक थाना कांड संख्या – 122/2022

विशाल कुमार उर्फ बादल, पिता–विजय राम, उम्र करीब 25 वर्ष
साकिन–चिन्तामनचक, थाना–मोकामा, जिला–पटना.....आवेदक अभियुक्त

बनाम्

बिहार सरकार ..... विपक्षी

आवेदक अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्ता :– श्री विजेन्द्र कुमार
बिहार सरकार की ओर से विद्वान अधिवक्ता :– मो0 एस0 आर0 रहमान

आदेश

17.03.2026 आवेदक अभियुक्त विशाल कुमार उर्फ बादल की ओर से नियमित जमानत आवेदन धारा 438 द. प्र.स. के तहत् दाखिल किया गया है। जमानत आवेदन की प्रति अभियोजन को प्रदान किया गया है। यह वाद पण्डारक थाना कांड संख्या–122/2022, अंतर्गत धारा 366(A) 34 भा.द.वि. से सम्बंधित है।

आवेदक अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता जमानत आवेदन को संचालित करते हैं तथा निवेदन करते हैं कि आवेदक अभियुक्त की ओर से पूर्व में कोई अग्रिम या नियमित जमानत आवेदन इस न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय पटना में दाखिल नहीं किया गया है। आवेदक अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नहीं हैं। आवेदक अभियुक्त निर्दोष है तथा इसने कोई अपराध नही किया है। जैसा कहा गया है, वैसी कोई घटना घटनास्थल पर नहीं घटी है। आवेदक को झूठे, मनगढ़ंत एवं बनावटी केस में फंसाया गया है। सच्चाई यह है कि आरोपी विशाल कुमार और अमृता कुमारी एक दूसरे से प्यार करते थे और अमृता कुमारी, विशाल कुमार के साथ कोलकाता गई थी और अब वह वापस लौट आई है। यह बात अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम, बाढ़ के न्यायालय में बयान देते समक्ष स्वीकार की है। आवेदक अभियुक्त विशाल कुमार एवं पीड़िता अमृता कुमारी कोलकाता में एक साथ रह रहे हैं और इनका एक बच्चा भी है। इस वाद में सह अभियुक्त बबीता देवी को अग्रिम जमानत आवेदन सं0 1371/25 दिनांक 16.12.2025 को जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम, बाढ़ से जमानत दिया गया है। उभय पक्ष के बीच हुए समझौते पर दोनों पक्ष एवं सम्बंधित वकील द्वारा हस्ताक्षर किये गये हैं। आवेदक अभियुक्त के फरार होने की कोई आशंका नहीं है। आवेदक अभियुक्त सक्षम जमानतदार देने को तैयार है। अतः आवेदक अभियुक्त को जमानत पर मुक्त किया जाय।

अभियोजन जमानत का विरोध करते हैं तथा निवेदन करते हैं कि उपरोक्त अग्रिम जमानत आवेदन धारा 366(A) 34 भा.द.वि. से सम्बंधित है, जो अजमानतीय है तथा आवेदक इस वाद का मुख्य आरोपी है और इन पर नाबालिग को घर से भगाकर शादी कर लेने का आरोप है, इसलिए इनका अग्रिम जमानत आवेदन खारिज किया जाय।

अभियोजन का वाद संक्षेप में यह है कि, इस वाद की सूचिका द्रौपती देवी हैं। इन्होंने अपना फर्दबयान थानाध्यक्ष पण्डारक को दिया है, जिसमें कथन की है कि दिनांक 12.08.22 को मेरी नतनी अमृता कुमारी उम्र 15 वर्ष पिता–गुड्डु राम, ग्राम सरकट्टी है, जो शिशु विधा मंदिर पण्डारक प्राईवेट स्कुल में पढ़ने गई थी, शाम तक वापस नहीं आई। द्रोपती देवी और इनके परिवार के लोग काफी खोजबीन किये, कहीं पता नहीं चला, तब दिनांक 14.08.22 को इनकी बेटी पुनम कुमारी के द्वारा मालुम हुआ की विशाल कुमार उर्फ बादल इनकी नतनी अमृता कुमारी को बहला–फुसलाकर शादी करने के

न्यायालय, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम, बाढ़
उपस्थिति :– राजकुमार चौधरी
<u>अग्रिम जमानत आवेदन संख्या – 16/2026</u>
पण्डारक थाना कांड संख्या – 122/2022

लगातार
17.03.2026

नियत से कोलकाता ले जाकर रखा है तथा इस घटना में लड़का के पिता विजय राम एवं माता बबीता देवी भी शामिल हैं। लड़का विशाल कुमार उर्फ बादल का मो0 नं0 8083264285 है।

उभयपक्षों को सुना। अभिलेख का अवलोकन किया। कांड दैनिकी के कंडिका– 02 में वादी का पुनः बयान अंकित किया गया है। कांड दैनिकी के कंडिका–5 एवं 6 में साक्षी आनंदी राम एवं हरीराम है, जिन्होंने घटना का समर्थन करते हुए कहा है कि आवेदक अभियुक्त पीड़िता को शादी करने के नियत से फुसलाकर कोलकाता लेकर चला गया है और कंडिका–11 में पर्यवेक्षण टिप्पणी अंकित है, जिसमें घटना को धारा 366(ए)/34 भा.द.वि. में अभियुक्तगण के विरुद्ध सत्य प्रतीत होना बताया गया है। कंडिका–14 में पुलिस अधीक्षक कार्यालय का प्रतिवेदन–2 है जिसमें भी घटना सत्य प्रतीत होना बताया है। पूरक कांड दैनिकी के कंडिका–8 में अभियुक्त विजय राम के विरुद्ध आरोप पत्र समर्पित किया गया है। पूरक कांड दैनिकी के कंडिका–12 एवं 13 में धारा 161 दं.प्र.सं. एवं धारा 164 दं.प्र.सं. के तहत बयान लिया गया है, जिसमें पीड़िता अमृता कुमारी को शादी करने के नियत से अपहरण कर मोकामा से पटना एवं चेन्नई ले गया, जहां आवेदक 7 महीना तक पति–पत्नी के रुप में रहे। आवेदक अभियुक्त को गिरफ्तार किये जाने हेतु पुलिस द्वारा बार–बार प्रयास किये जाने के बावजूद आवेदक फरार पाया गया और अग्रिम जमानत दाखिल किये जाने के बाद भी आवेदक अभियुक्त अपनी पत्नी के साथ समझौता हो जाने पर भी न्यायालय में उपस्थित नहीं है। आवेदक अभियुक्त की ओर से संयुक्त समझौता पत्र दाखिल किया गया है। इस वाद में पीड़िता अमृता कुमारी का धारा 164 दं.प्र.सं. के तहत न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी के समक्ष बयान कराया गया है, जिसमें वह अपना उम्र 16 वर्ष बतायी है तथा विद्वान न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी के द्वारा भी पीड़िता का उम्र 16 वर्ष आकलन किया गया है और वह देखने से भी नबालिग प्रतीत हुई, जिसके कारण पीड़िता को उसकी माँ के साथ घर जाने की अनुमति दी गई। पीड़िता अपने बयान में कही की अपनी मर्जी से गई थी। इस तरह कानून में मान्यता है कि नाबालिग के सहमति का कोई औचित्य नहीं है तथा आवेदक अभियुक्त ने नाबालिग के साथ विवाह किया है, जिसका कानून में कोई मान्यता नहीं है तथा यह अपराध समाज विरोधी भी है, इसलिए वाद के सुलह होने का भी कोई औचित्य नहीं है। आवेदक इस वाद के मुख्य आरोपी है तथा इस वाद का अनुसंधान जारी है।

अतः उपरोक्त तथ्यों व परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए आवेदक अभियुक्त विशाल कुमार उर्फ बादल को अग्रिम जमानत पर मुक्त करना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः आवेदक अभियुक्त विशाल कुमार उर्फ बादल का अग्रिम जमानत आवेदन खारिज किया जाता है।

(लेखापित/शुद्धित)

(राजकुमार चौधरी)
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम बाढ़